रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1980/भाद्र 21, 1902

No. 426] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1980/BHADRA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1980

का० आ० 776(अ)./18 कख/औ० वि० वि० अधि०.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 542 (अ)/18कक/औ० वि० वि० अ०/74, तारीख 13 सितम्बर, 1974 द्वारा यह प्राधिकृत किया गया था कि, अमृतसर शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, अमृतसर नाम के औद्योगिक उपक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है), जहां तक कि उसका संबंध अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर नामक कारखाने जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त कारखाना कहा गया है) से है का प्रबन्ध 13 सितम्बर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबंध बोर्ड नामक व्यक्ति निकाय द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन ग्रहण किया जाए;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० 454(अ), तारीख 18 जुलाई, 1978 द्वारा 12 सितम्बर, 1979 तक की अवधि, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिये उक्त व्यक्ति-निकाय का स्थान एक नए निकाय ने ले लिया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 525(अ), तारीख 11 सितम्बर, 1979 द्वारा, तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दोनों आदेश 12 सितम्बर, 1981 तक की अवधि, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिये प्रभावी बने रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 566(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथा स्थिति, अधिनियमितियां, या उनके भाग उक्त उपक्रम को, जहां तक उनका संबंध उक्त कारखाने से है, लागू नहीं होंगे, और

(ख) सभी प्रवृत्त संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या लिखतों का (उनको छोड़कर जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है और जहां तक कि वे उक्त कारखाने से संबन्धित हैं, या जो उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व उसे लागू हो सकते हैं, और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 1 अक्तूबर, 1975 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 526 (अ), तारीख 11 सितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की कालावधि को, 12 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए बढ़ा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि तारीख 1 अक्तूबर, 1975 के उक्त आदेश की कालावधि को, 12 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिये बढ़ा दिया जाना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अक्तूबर, 1975 के उक्त आदेश की कालावधि को 12 सितम्बर, 1981 तक की अवधि, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिये और बढ़ाती है।

[फा० सं० 4/3/74-सीयूसी]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1980

S.O. 776(E)/18FB/IDRA.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 542(E)/18AA/IDRA/74, dated the 13th September, 1974, the management of the Industrial undertaking known as Amritsar Sugar Mills Co., Ltd., Amritsar (hereinafter referred to as the said undertaking) in so far as it relates to the factory known as Amritsar Oil Works, Amritsar (hereinafter referred to as the said factory) was authorised to be taken over by a body of persons known as the Board of Management under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of 5 years commencing from the 13th September, 1974;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. 454(E), dated the 18th July, 1978, the said body of persons was replaced by a new body for a period upto and inclusive of the 12th September, 1979;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 525(E), dated the 11th September, 1979, the said two orders dated the 13th September, 1974 and the 18th July, 1978 continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th September, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E) dated the 1st October, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, declared that :—

(a) the enactments, or portions thereof, as the case may be, specified in the schedule to the said Order shall not apply to the said undertaking in so far as it relates to the said factory, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking is a party in so far as they related to the said factory, or which may be applicable to it immediately before the date of publication of the said order in the official gazette and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year commencing from the 1st October, 1975;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 526(E) dated the 11th September, 1979, the duration of the said order was extended upto and inclusive of the 12th September, 1980;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order dated the 1st October, 1975 should be extended by a further period upto and inclusive of the 12th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order dated the 1st October, 1975, for a further period upto and inclusive of the 12th September, 1981.

[F. No. 4/3/74-CUC]

का० आ० 777(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 325(अ), तारीख 18, मई 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त आदेश में, "सदस्य (अंशकालिक)" शीर्षक के नीचे, क्रम सं० 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[सं० फा० 4(1)/77-सीयूएस]

S.O. 777(E).—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325 (E) dated the 18th May, 1978, namely :—

In the said Order, under the heading "Members (Part-time)" Serial No. 2 and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 4(1)/77-CUS]

का० आ० 778(अ).—उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951, (1951 का 65), की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का० आ० सं० 590 (अ) दिनांक 9 अक्तूबर 1978 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में "सदस्यों" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 और 5 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात् :—

"3 श्री माधव सिन्हा,
विशेष सचिव,
उद्योग विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

5. श्री एस० कृष्ण मूर्ति,
उप-सचिव (आन्तरिक वित्त)
भारत सरकार,
वाणिज्य मंत्रालय
नई दिल्ली।"

[फा०सं० 3(4)/76-सीयूएस]
ब० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 778(E).—In exercise of the powers conferred by by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 590(E), dated the 9th October, 1978, namely :—

In the said Order, under heading "Members", for the entries against Serial Number 3 and 5, following shall be substituted, namely :—

"3. Shri Madhav Sinha,
Special Secretary,
Department of Industries,
Government of Bihar,
Patna.

5. Shri S. Krishna Moorthy,
Deputy Secretary (IF),
Government of India,
Ministry of Commerce,
New Delhi."

[F. No. 3(4)/76-CUS]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980